न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, टोंक

पीठासीन अधिकारी– मुरारी लाल शर्मा
आर.ए.एस.

मिसल नम्बर	तारीख दायरा	तारीख निर्णय
69 / 2021 / प्रा.पत्र / 2021	20.07.2021	14.10.2021

सत्यनारायण गूर्जर, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, टोंक

.... प्रार्थी

बनाम

1–श्री अशाोक कुमार गुप्ता पुत्र श्री सत्यनारायण गुप्ता निवासी मोती बाग रोड बडा कुऑ टोंक जिला टोंक एफ.बी.ओ. मैसर्स राजेश कुमार अशोक कुमार मोती बाग रोड बडा कुऑ टोंक जिला टोंक

2– मैसर्स राजेश कुमार अशोक कुमार मोती बाग रोड बडा कुऑ टोंक जिला टोंक

3–श्री सुमित जैन पुत्र श्री सुरेन्द्र जैन प्रोपरायटर मैसर्स करिश्मा ट्रेडिंग कम्पनी दुकान नं. 9–ए, बागरवाल माकेट, न्यू ग्रेन मण्डी कोटा। निवासी 353, लाडपुरा, करबला रोड, कोटा।

4–मैसर्स करिश्मा ट्रेडिंग कम्पनी दुकान नं. 9–ए, बागरवाल माकेट, न्यू ग्रेन मण्डी कोटा।

...... अप्रार्थीगण

जुर्म अन्तर्गत खाध सुरक्षा एंव मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 (2) की उप धारा (ii) एवं दण्डनीय धारा 52 (सहपठित धारा 49)

उपस्थित–

1–प्रार्थी की ओर से श्री मदनलाल गूर्जर, खा0सु0अ0 स्वयं।
2–अप्रार्थीगण उपस्थित

:–<u>निर्णय</u>–: **दिनांक 14.10.2021**

संक्षेप में प्रार्थना पत्र का सार इस प्रकार है कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी दिनांक 02.11.2020 को समय 2.00 पी.एम पर वास्ते निरीक्षण मैसर्स राजेश कुमार अशोक कुमार मोती बाग रोड बडा कुऑ टोंक जिला टोंक पर पहुंचां। विक्रेता की हैसियत से श्री अशोक कुमार गुप्ता पुत्र श्री सत्यनारायण गुप्ता निवासी मोती बाग रोड बडा कुऑ टोंक जिला टोंक एफ.बी.ओ. मैसर्स राजेश कुमार अशोक कुमार मोती बाग रोड बडा कुऑ टोंक जिला टोंक खाद्य पदार्थ का कारोबार करते हुए उपस्थित मिला, को अपना परिचय दिया एवं परिचय पत्र दिखाया तथा उसका परिचय [illegible] का मालिक होना स्वीकार किया एवं मौके पर खाद्य अनुज्ञा पत्र होना जाहिर कि[illegible]

Signature Not Verified
Digitally signed by Murari Lal Sharma
Date: 2021.11.29 10:26:01 IST
Reason: Self Attested

आवेदक द्वारा निरीक्षण [illegible] जाता को वि[illegible]तु दुकान मे **रिफाइंड सोयाबीन तेल (प्रकृति [illegible])** [illegible] 37 एंव पैकिग की [illegible] 07.08.2020

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट न्यायालय टोंक

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
टोंक

अंकित थी, रखा हुआ था, का निरीक्षण करने पर मिलावट की शंका होने पर. विक्रेता श्री अशोक कुमार गुप्ता को गवाह के सामने फार्म नं. 5ए में वास्ते नमूना क्रय करने हेतु नोटिस देकर नोटिस की रसीद प्राप्त की जिस पर विक्रेता अशोक कुमार गुप्ता एवं गवाह के हस्ताक्षर करवाकर प्रार्थी ने हस्ताक्षर कर तस्दीक किया।

आवेदक द्वारा दुकान मे 15—15 किलोग्राम पैक के लगभग 64 टिन पैक **रिफाइंड सोयाबीन तेल (प्रकृति ब्राण्ड)** रखे हुये मे से एक टिन का चयन कर को खोलकर 1600 ग्राम एक स्टील के जग मे वेईग मशीन से तुलवाकर वास्ते नमूना जांच खरीदा जिसकी बाजार भाव के समान कीमत विक्रेता. श्री अशोक कुमार गुप्ता को रू0 168/—अक्षरे एक सो अडसठ रूपये नगद देकर रसीद प्राप्त की जिस पर विक्रेता के हस्ताक्षर तथा उपस्थित गवाहान के हस्ताक्षर करवाये एवं तस्दीक कर स्वयं आवेदक ने हस्ताक्षर किये।

आवेदक द्वारा खरीदशुदा **रिफाइंड सोयाबीन तेल (प्रकृति ब्राण्ड)** 1600 ग्राम को ज्यो का त्यो प्लास्टिक की साफ व सूखी चार शिशियो मे बराबर—बराबर प्रत्येक शिशी मे 400—400 ग्राम भरकर शिशियो के ढक्कन को अच्छी तरह एयरटाईट बंद कर नियमानुसार चार नमूना भाग तैयार कर एंव चारो नमूना भागो के लिये चार लेबल नियमानुसार तैयार कर प्रत्येक भाग पर गोंद से चिपकाया और प्रत्येक लेबलो पर डी.ओ.कोड एवं क्रमांक I—2661 दर्ज किया। प्रत्येक लेबल पर स्वयं के हस्ताक्षर किये एवं विक्रेता के तथा गवाह के हस्ताक्षर करवाये गये।

चारो नमूना भागो को अलग—अलग खांकी कागज में लपेटकर प्रत्येक भाग पर डी. ओ. टोंक की हस्ताक्षर शुदा पेपर स्लिप नं. I—2661 नियमानुसार चारों नमूना भागों पर नीचे से उपर तक गोलाई से गोंद से चिपकाकर प्रत्येक भाग को धागे से बांध कर सील चपडी किया। प्रत्येक नमूना भाग पर विक्रेता. अशोक कुमार गुप्ता के हस्ताक्षर नियमानुसार इस प्रकार करवाये कि पेपर स्लिप व रेपर दोनो पर आवे। चारो नमूना भागो को अपने जाप्ते में लिया व मोका फर्द रिपोर्ट तैयार की। खाध पदार्थ का नमूना क्रय करते समय श्री अशोक कुमार गुप्ता ने मौके पर **रिफाइंड सोयाबीन तेल (प्रकृति ब्राण्ड)** का बतोर वारंटी बिल मैसर्स करिश्मा ट्रेडिंग कम्पनी दुकान नं. 9—ए, बागरवाल माकेट, न्यू ग्रेन मण्डी कोटा का बिल क्रमांक/इन्वॉइस नं0 2392 दिनांक 15.09.2020 की छायाप्रति पेश की।

आवेदक ने कार्यालय पहुंचकर फार्म नं0 6 की 6 प्रतियां तैयार की और प्रत्येक पर वह नमूना सील लगाई जिससे नमूना सील किया। एक नमूना भाग फार्म नं0 6 की प्रति के आउटर कवर में सील बन्द कर सील मोहर कर खाद्य विश्लेषक राज्य केन्द्रीय जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला जयपुर को जमा कराकर रसीद प्राप्त की।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को ... एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी टोंक के पत्र क्रमांक एफ.एस.एस.ए/2020/4048 दिनांक 23.11.2020 के द्वारा ज्ञात हुआ कि खाद्य विश्लेषक राज्य केन्द्रीय जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला जयपुर से प्राप्त जांच रिपोर्ट सं0 एल0एस0/1719/टकर/2020 दिनांक 09.11.2020 अनुसार अशोक कुमार गुप्ता से वास्ते नमूना जांच विक्रय किया गया **रिफाइंड सोयाबीन तेल (प्रकृति ब्राण्ड)**

Signature Not Verified
Digitally signed by Murari Lal Sharma
Date: 2020.11.29 10:26:01 IST
Reason: SelfAttested

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
टोंक

खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 3(1) (xf) (c) (i) के अनुसार **मिथ्याछाप** (Mis-branded) स्तर का होना पाया गया।

अतः प्रकरण में अप्रार्थीगण द्वारा **मिथ्याछाप** (Mis-branded) स्तर का **रिफाइंड सोयाबीन तेल (प्रकृति ब्राण्ड)**का विक्रय कर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26(2) की उप धारा (ii) का उल्लंघन किया है जिसका जुर्माना खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 52 (सहपठित धारा 49) में निर्धारित है।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 1 स्वंय ने और अप्रार्थी संख्या 3 व 4 की और से उनके प्रतिनिधि द्वारा किसी प्रकार का कोई जवाब प्रस्तुत नहीं किया तथा अपना जुर्म स्वीकार किया। प्रार्थी ने बहस के दौरान प्रार्थना पत्र अंकित तथ्यों पर प्रकाश डालते हुए निवेदन किया कि अप्रार्थी जिस **रिफाइंड सोयाबीन तेल (प्रकृति ब्राण्ड)** का विक्रय कर रहा था वह जांच में **मिथ्याछाप** (Mis-branded)स्तर का होना पाया गया है इसलिए अप्रार्थीगण को भारी से भारी जुर्माने से दण्डित किया जावे।

हमने बहस पर मनन किया व पत्रावली का अवलोकन किया गया। अप्रार्थी के पास से लिया गया **रिफाइंड सोयाबीन तेल (प्रकृति ब्राण्ड)** का नमूना जांच में **मिथ्याछाप** (Mis-branded) स्तर का होना पाया गया है। उक्त कृत्य खाद्य सुरक्षा व मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26(2) की उप धारा (ii) के अन्तर्गत अपराध की श्रेणी में आता है। अतः अप्रार्थी के विरूद्व प्रार्थना पत्र प्रमाणित होने से खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 52 (सहपठित धारा 49)के अन्तर्गत अपराध की श्रेणी में आता है। अतः अप्रार्थी के विरूद्व प्रार्थना पत्र प्रमाणित होने से अप्रार्थी श्री अशाोक कुमार गुप्ता पुत्र श्री सत्यनारायण गुप्ता निवासी मोती बाग रोड बडा कुऑ टोंक जिला टोंक एफ.बी.ओ. मैसर्स राजेश कुमार अशोक कुमार मोती बाग रोड बडा कुऑ टोंक जिला टोंक पर शास्ति 13,000 (अक्षरे तेरह हजार रू0) अप्रार्थी श्रीसुमित जैन पुत्र श्री सुरेन्द्र जैन प्रोपरायटर मैसर्स करिश्मा ट्रेडिंग कम्पनी दुकान नं. 9–ए, बागरवाल माकेट, न्यू ग्रेन मण्डी कोटा। निवासी 353, लाडपुरा, करबला रोड, कोटा पर शास्ति 13,000 (अक्षरे तेरह हजार रू0) आरोपित की जाती हैअभियुक्त उक्त दण्ड की राशि जरिये डीडी न्यायालय में अथवा जरिये चालान से राजकोष में संबंधित मद में निर्णय दिनांक 14.10.2021 से एक माह के अन्दर अन्दर जमा कराकर रसीद पेश करें। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफतर हो।

निर्णय आज दिनांक 14.10.2021 को खुले न्यायालय में लिखा जाकर सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Murari Lal Sharma
Date: 2021.11.29 10:26:01 IST
Reason: SelfAttested

14-10-2021

(मुरारी लाल शर्मा)
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट टोंक
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
टोंक–राज0